

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:-एफ.28()पंचावि/प्रशा-2/ग्राविअ(ग्रासे)/पदोन्नति(बन्द लि.)/2020/ 363 जयपुर,दिनांक:- 11/02/2020

:: आदेश ::

ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव से पंचायत प्रसार अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों की सिफारिश के आधार पर बन्द किये गये लिफाफों में से निम्न ग्राम विकास अधिकारियों (ग्राम सेवकों) के बन्द लिफाफे खोले जाकर, उनके नाम के सामने अंकित वर्ष की रिक्तियों के विरुद्ध पंचायत प्रसार अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक)	श्रेणी	वर्तमान पदस्थान जिला	वरिष्ठता क्रमांक	पदोन्नति वर्ष एवं तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	महेन्द्र प्रताप	GEN	श्रीगंगानगर	209	2014-15 01.04.2014	
2	राम दिनेश छीपा	OBC	नागौर	240A	2014-15 01.04.2014	
3	अनिल कुमार गोयल	GEN	धौलपुर	335	2014-15 01.04.2014	
4	दलवीर सिंह	GEN	अलवर	363	2014-15 01.04.2014	
5	चालकदान	OBC	पाली	374	2014-15 01.04.2014	
6	परेश कुमार चौबीसा	GEN	डूंगरपुर	376	2014-15 01.04.2014	
7	उत्पल श्रीमाल	OBC	डूंगरपुर	382	2014-15 01.04.2014	
8	मंगीलाल रेबारी	OBC	डूंगरपुर	385	2014-15 01.04.2014	
9	कानाराम	OBC	पाली	407	2014-15 01.04.2014	
10	लक्ष्मीनारायण कुमावत	OBC	राजसमन्द	434	2014-15 01.04.2014	

11

11	गुरेन्द्र सिंह	GEN	श्रीगंगानगर	460	2014-15 01.04.2014	
12	राजेन्द्र प्रसाद वर्मा	SC	अलवर	510	2014-15 01.08.2014	
13	पूरणमल जाटव	SC	अलवर	747	2014-15 01.08.2014	
14	सुरेन्द्र सिंह मीणा	ST	करौली	1086	2014-15 01.03.2015	
15	ध्यानीराम मीणा	ST	अलवर	1090	2014-15 01.03.2015	
16	सुमेराराम	ST	बाड़मेर	1093	2014-15 02.03.2015	
17	आईदानाराम	SC	बाड़मेर	96	2015-16 01.04.2015	
18	सुखदेव सिंह	OBC	हनुमानगढ	387	2015-16 01.09.2015	
19	हंसराज वर्मा	SC	अलवर	736	2015-16 01.03.2016	

उक्त पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 4681/2013 श्याम सुन्दर मुण्ड बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 02.5.2013 के निर्णय के अधीन रहेंगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं विकास अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पदोन्नत कार्मिक सीधी भर्ती से अथवा अन्य विभागों से पंचायती राज विभाग में समायोजित किया जा चुका है।

उक्त पदोन्नत पंचायत प्रसार अधिकारी अग्रिम आदेशों तक वर्तमान पदस्थापित स्थान पर ही पदोन्नत पद का कार्यभार अविलम्ब ग्रहण कर, पालना रिपोर्ट विकास अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से विभाग को प्रेषित करेंगे, अन्यथा स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आपके द्वारा पदोन्नति को फॉरगो कर दिया गया है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

५१
११/०२/२०२०
(सुनील शर्मा)

अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त सचिव (तृतीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं तत्काल पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-विशिष्ट सहायक, मा. उप मुख्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- 2-निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- 3-निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- 4-जिला कलक्टर, समस्त।
- 5-अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय), पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- 6-मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त को भेजकर लेख है कि उक्त पदौन्नत पंचायत प्रसार अधिकारियों की कार्यग्रहण रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- 7-विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त को भेजकर लेख है कि उक्त पदौन्नत पंचायत प्रसार अधिकारियों की कार्यग्रहण रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- 8-प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, पंचायती राज विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 9-संबंधित संस्थापन लिपिक, पंचायत प्रसार अधिकारी, मुख्यालय।
- 10-आदेश में वर्णित ग्राम विकास अधिकारी(ग्राम सेवक) समस्त।
- 11-आदेश पत्रावली।

८१
११/०२/२०२०

अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त सचिव (तृतीय)